टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा का हुआ विरोध

मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 मार्च। 30 वर्ष की सेवा के पश्चात 57 वर्ष की आयु में शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता का आदेश असंवैधानिक है मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर संपूर्ण मध्यप्रदेश सहित पन्ना में भी (टीईटी) शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राजेश मिश्रा,राजेंद्र सिंह धंदेरे ,शिवकुमार मिश्रा, विनोद मिश्रा, रामकिशोर गर्ग, प्रेम शर्मा एवं सुनील खरे के नेतृत्व में जिले के समस्त प्रभावित शिक्षक, गुरुजी, संविदा शिक्षक, अध्यापक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षक, अनुकंपा से नियुक्त शिक्षक के लिए जिले में कार्यरत समस्त शैक्षिक संगठनों की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी राजपत्र तथा समय प्रभावी नियमों के आधार पर विधिवत रूप से की गई है अत: उन शिक्षकों के लिए बाद में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य कर देना तथा 2 वर्ष के भीतर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न करने की स्थिति में सेवा समाप्ति जैसा कठोर प्रावधान लागू करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 21 अक्टूबर 1997 के अनुसार हुई है उनके लिए बाद में नवीन शर्तों को लागू करना न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। आज ज्ञापन कार्यक्रम में जिले के सैकड़ो अध्यापकों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

त्रैमासिक बैठक में हुई समीक्षा

पन्ना 13 मार्च। जिला अग्रणी बैंक एसबीआई द्वारा गुरूवार को पन्ना विकासखंड की त्रैमासिक बीएलबीसी बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी बैंक शाखाओं के प्रबंधक सहित क्षेत्र अधिकारी एवं शासकीय विभाग प्रमुख भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनू योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत ब्याज सब्सिडी स्कीम व पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सहित अन्य रोजगारमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन और लक्ष्यपूर्ति के संबंध में चर्चा की गई। विभिन्न विभागों द्वारा बैंक शाखाओं में लंबित ऋण प्रकरणों के बारे में अवगत कराया गया। लीड बैंक अधिकारी शमा बानो ने पीएम विश्वकर्मा योजना की प्रगति के संबंध में भी चर्चा की।

नेशनल लोक अदालत आज

राजीनामा के जरिए होगा लंबित प्रकरणों का निराकरण

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 मार्च। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 मार्च को संपूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में शनिवार को जिला न्यायालय पन्ना सहित पवई एवं अजयगढ़ तहसील न्यायालय तथा कुटुम्ब न्यायालय पन्ना में भी लोक अदालत लगेगी।

इसमें राजीनामा योग्य विचाराधीन लंबित आपराधिक, चेक अनादरण, मोटर दावा दुर्घटना, दीवानी भू-अर्जन, पारिवारिक विवाद, भरण पोषण, घरेलू हिंसा इत्यादि प्रकरणों का राजीनामा के जरिए निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा विद्युत विभाग, सभी बैंकों के ऋण वसूली, टेलीफोन विभाग के बिल, जिले के समस्त नगरीय निकाय के जल एवं संपत्ति कर से संबंधित सभी मामलों का भी निराकरण किया जाएगा। इसके लिए पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किए गए हैं। सूचना पत्र प्राप्त न होने पर भी पक्षकार नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकरण करवा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड राजकुमार गौड़ ने जानकारी दी कि नेशनल लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय पन्ना में 8, पवई में 3 तथा अजयगढ़ में 1 खंडपीठ का गठन किया गया है। प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय रूपेश शर्मा की खंडपीठ क्रमांक 1, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र मेश्राम की खंडपीठ क्रमांक 2, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार शर्मा की खंडपीठ क्रमांक 3, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रितिका पाठक की खंडपीठ क्रमांक 4, जेएमएफसी बिंदु पटेल की खंडपीठ क्रमांक 5, जेएमएफसी इकरा मिन्हाज की खंडपीठ क्रमांक 6, जेएमएफसी भूपेन्द्र सिंह की खंडपीठ क्रमांक 7, जेएमएफसी श्वेता आर्य की खंडपीठ क्रमांक 8, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पवई सोम पाण्डेय की खंडपीठ क्रमांक 9, जेएमएफसी अमित कुमार शर्मा की खंडपीठ क्रमांक 10, जेएमएफसी हिमांशी ठाकुर भारद्वाज की खंडपीठ क्रमांक 11 तथा जेएमएफसी अजयगढ़ उपमा भार्गव की खंडपीठ क्रमांक 12 गठित की गई है।

अतिथि शिक्षकों का फरवरी माह का मानदेय अप्राप्त

नवभारत न्यूज

अजयगढ़/पन्ना 13 मार्च। पन्ना जिले में बैठे शिक्षा अधिकारियों द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेशो की खुलेआम अवहेलना हो रही है।

भोपाल द्वारा जारी आदेश दिनांक 08 जनवरी को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया था कि सत्र 2025/26 में ऑनलाइन ज्वाइन अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक जनरेट कर मानदेय भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में आदेशानुसार अतिथि शिक्षकों का बजट फरवरी माह तक का जारी कर दिया गया है। अत: समस्त ऑनलाइन ज्वाइन अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस के आधार पर मानदेय जनरेट कर दिनांक 10 तारीख तक भुगतान की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। लेकिन पन्ना जिले में बैठे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अभी तक अतिथि शिक्षकों के फरवरी माह के मानदेय को लेकर कोई चिंता नहीं है। अतिथि शिक्षक संघ अजयगढ़ ने इसकी विधिवत जांच की जाए एवं दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की गई है।

पुलिस प्रशासन ने 8 से 12 तक वृहद स्तर पर चलाया सशक्त नारी अभियान

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 मार्च। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार दिनांक 08 मार्च से 12 मार्च तक जिले के नगरीय एवं ग्रामीण थाना क्षेत्रो में महिला सदस्यों की उपस्थिति में सशक्त नारी अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक पन्ना निवेदिता नायडू के निर्देशन में पन्ना पुलिस द्वारा विभिन्न जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करना है अभियान के अंतर्गत महिलाओं को महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम, संदिग्ध व्यक्तियों एवं आपराधिक गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया जाना रहा। इसी क्रम में पन्ना पुलिस द्वारा दिनांक 13 मार्च को टाउनहॉल में एक विशेष जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर की बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही उपस्थित महिलाओं को महिला सुरक्षा, अपराधों से बचाव, साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने के उपाय, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा देश एवं समाज के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित महिला संबंधी हेल्पलाइन नंबरों, आपातकालीन सहायता सेवाओं एवं महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण एवं जागरूकता प्रदान की गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भ्रूण हत्या, बाल विवाह, लिंग परीक्षण, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार तथा उनसे बचाव के उपायों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री वंदना चौहान, रक्षित निरीक्षक पन्ना खिलावन सिंह, यातायात प्रभारी नीलम लक्ष्यकार एवं थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना रोहित मिश्रा सहित पुलिस बल एवं नगर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मिली 22वीं किस्त

कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 मार्च। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत पात्र कृषक हितग्राहियों को शुक्रवार को 22वीं किश्त राशि का वितरण किया गया।

इससे पन्ना जिले के एक लाख 52 हजार 556 किसान भी लाभांवित हुए। अजयगढ़ तहसील के 24 हजार 318, अमानगंज के 19 हजार 793, देवेन्द्रनगर के 11 हजार 90, गुनौर के 21 हजार 715, पन्ना के 12 हजार 398, पवई के 28 हजार 435, रैपुरा के 14 हजार 987, शाहनगर के 19 हजार 174 तथा सिमरिया तहसील के 642 किसान परिवारों को इसका लाभ मिला। योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान के बैंक खाते में 2 हजार रूपए की राशि अंतरित की गई। पीएम किसान सम्मान निधि वितरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर असम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्यातिथ्य में आयोजित मुख्य समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। उपस्थितजनों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के संबोधन को देखा एवं सुना।

कार्यक्रम में कलेक्टर ऊषा परमार एवं अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे सहित उप संचालक कृषि ओ.पी. तिवारी, संयुक्त कलेक्टर कुशल सिंह गौतम, तथा कृषकगण भी उपस्थित रहे।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर 16 को

पन्ना 13 मार्च। म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी संभाग पन्ना द्वारा सोमवार, 16 मार्च को पन्ना शहर वितरण केन्द्र में जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर लगाया जाएगा। विद्युत कंपनी के कार्यपालन अभियंता द्वारा सभी विद्युत उपभोक्ताओं से शिविर में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर बिजली बिल, मीटर, लाइन तथा अन्य विद्युत संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान कराने का आग्रह किया गया है।

बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए 23 हजार 663 परीक्षार्थी

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 मार्च। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 की बोर्ड परीक्षाएं जिले के 48 परीक्षा केन्द्रों पर सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई हैं।

कलेक्टर ऊषा परमार के कुशल निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी के सफल मार्गदर्शन में गत 10 फरवरी से 7 मार्च तक निर्धारित केन्द्रों पर परीक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन हुआ। कक्षा 10वीं की परीक्षा में 13 हजार 77 तथा कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 10 हजार 586 परीक्षार्थी शामिल हुए। जिला शिक्षा अधिकारी रविप्रकाश खरे ने बताया कि मंडल के निर्देशानुसार सभी परीक्षा केन्द्रों पर कलेक्टर प्रतिनिधि तथा संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इनकी निगरानी में परीक्षाएं संपन्न हुईं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मंडल परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए नियुक्त समिति की अनुशंसा पर नियुक्त केन्द्राध्यक्ष व सहायक केन्द्राध्यक्षों द्वारा भी परीक्षाओं का सुचारू रूप से संपादन करवाया गया। बोर्ड परीक्षाओं की निगरानी के लिए जिला स्तरीय निरीक्षण दल सहित सभी विकासखंड स्तर पर एक-एक निरीक्षण दल भी गठित किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला एवं पुलिस प्रशासन सहित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला परिवहन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ई-गवर्नेस प्रबंधक के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही बोर्ड परीक्षा में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों के कार्यों की भी सराहना की गई।

अचल संपत्तियों के नवीन दर निर्धारण के संबंध में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक हुई

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 मार्च। शासन के निर्देशानुसार नवीन गाईड लाईन 2026-27 अंतर्गत पन्ना जिले में विभिन्न स्थानों पर अचल संपत्तियों के मूल्य निर्धारण के संबंध में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत की गई।

इसमें जिले की उप जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार विमर्श उपरांत अनंतिम अनुमोदन किया गया। आम नागरिक आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्ताव का जिला पंजीयक कार्यालय अथवा तहसीलवार उप पंजीयक कार्यालय में अवलोकन कर सकते हैं। इस संबंध में सोमवार, 16 मार्च तक सुझाव एवं आपत्तियां भी प्रस्तुत की जा सकती हैं।

आज जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में तहसीलवार 1082 ग्रामीण एवं 310 नगरीय क्षेत्र की लोकेशन में प्रस्तावित गाईड लाईन अनुसार दर निर्धारण संबंधी जानकारी दी गई। जिले की 5 उप जिला मूल्यांकन समितियों के प्रस्ताव अनुसार नगरीय क्षेत्र की 292 लोकेशन में 10 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है, जबकि 834 ग्रामीण लोकेशन में 10 से 50 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि के साथ कुल औसत वृद्धि 14 प्रतिशत प्रस्तावित है।

बैठक के अवसर पर राजस्व संग्रहण संबंधी जानकारी भी दी गई। साथ ही ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकाय में विकास के लिए स्टाम्प ड्यूटी राशि के वितरण तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जिला मूल्यांकन समिति के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने संबंधी जानकारी भी दी गई। बैठक में उपस्थितजनों द्वारा आवश्यक सुझाव भी रखे गए।

पन्ना विधायक बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने रजिस्ट्री की वर्तमान प्रक्रिया की जानकारी लेकर ग्राम इटवांखास में गत वर्ष में जमीन रजिस्ट्री में अनियमितता के संबंध में अपनी बात रखी तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्याओं से बचाव के उद्देश्य से भूमि के नक्शे एवं खसरा को दुरूस्त व अद्यतन करने के निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर ऊषा परमार एवं जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी सहित वन मंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना अनुपम शर्मा, जिला एवं उप पंजीयक, ईई पीडब्ल्यूडी एवं नपा सीएमओ तथा अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं घरेलू एलपीजी सिलेंडर

पन्ना 13 मार्च। प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी का सुचारू रूप से वितरण हो रहा है। इनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है एवं लगातार आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वाणिज्यिक एलपीजी गैस उपयोग के लिए शैक्षणिक संस्थान एवं चिकित्सकीय संस्थान को छूट दी गई है, जो जारी रहेगी, जिससे शैक्षणिक गतिविधि एवं चिकित्सकीय व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रह सके।

मुद्दत के नाम पर गल्ला व्यापारी किसानों से कर रहे ठगी

नवभारत न्यूज

गुनौर/पन्ना 13 मार्च। गल्ला व्यापारियों द्वारा किसानों से कई प्रकार की ठगी तो की ही जा रही है जिसे समय-समय पर मीडिया द्वारा समाचारों में प्रकाशित भी किया जाता है किंतु शासन प्रशासन व किसानों के नेताओं को कोई मतलब नहीं है।

लगता है किसनों को लूटने के लिए गल्ला व्यापारियों को कृषि उपज मंडी के विभागीय जिम्मेदारों से लेकर प्रशासनिक अमला ने भी खुली छूट दे रखी है। ऐसा क्यों इसका जवाब नहीं मिल रहा है। पहली गड़बड़ी तो मंडियों में गल्ला नहीं खरीदा जा रहा है। जिससे अपनी दुकानों में व्यापारी कई प्रकार की गड़बड़ी कर रहे हैं। दूसरा मामला गुनौर मंडी में जो थोड़ी बहुत खरीद की जाती है उसमें पीड़ित किसानों ने बताया कि यदि व्यापारी द्वारा नगद भुगतान दिया जाता है तो एक प्रतिशत राशि मुद्दत के रूप में काट ली जाती है अर्थात एक लाख रुपए में एक हजार रुपए की कटौती कर खुलेआम गल्ला व्यापारियों द्वारा लंबे समय से ठगी करते चले आ रहे हैं। जिसकी शिकायत भी अगर किसी किसान द्वारा की जाती हैं, तो मंडी के जिम्मेदारों द्वारा उसकी पूरी राशि दिलाकर समझौता करा दिया जाता है। अवैध रूप से राशि लेने वाले व्यापारी पर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है। इसी का परिणाम है कि गल्ला व्यापारी खुले आम किसानों से गुंडा बनकर ठगी कर रहा है और जिम्मेदार अमला चुप है निश्चित ही वो दिन दूर नहीं जब भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा जिसका खामियाजा पूरा समाज भोगेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने कलेक्टोरेट परिसर में लागू किया प्रतिबंधात्मक आदेश

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 मार्च। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ऊषा परमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा धारा 163 पारित करने संबंधी आदेश जारी किया है।

न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के चारों तरफ आम जनता द्वारा एकत्रित होकर एवं नारेबाजी कर आवागमन बंद करने एवं शांति भंग करने के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इससे आवागमन प्रभावित होने के साथ-साथ कार्यालयीन कार्य भी प्रभावित था। साथ ही कलेक्ट्रेट से लगा हुआ व्यवहार न्यायालय संचालित होने के कारण न्यायालयीन कार्य में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी। लोकहित में जारी उक्तादेश कलेक्ट्रेट परिसर के आस-पास कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश लागू होने से अब कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर अथवा बाहर कोई भी व्यक्ति नारेबाजी नहीं करेगा एवं न ही आम शांति भंग करेगा।

कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार से लेकर परिसर व उसके आस पास 4 या अधिक लोगों की अनाधिकृत मौजूदगी पर भी प्रतिबंध रहेगा।

यूजीसी को लेकर सवर्ण अधिकारी कर्मचारी संघ का कार्यक्रम आज

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 मार्च। पन्ना केन्द्र सरकार द्वारा यूजीसी कानून लागू किए जाने को लेकर पन्ना जिला मुख्यालय में 14 मार्च को स्थानीय मधुबन गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

उक्त कार्यक्रम 12 बजे से आयोजित किया जा रहा कार्यक्रम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण अधिकारी कर्मचारी संघ अजय तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम में अधिवक्ता अनिल मिश्रा पूर्व आइ ए एस हीरालाल त्रिवेदी एस पी एस परिहार सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर रवि शंकर मोदी डॉ महेश गुप्ता, विनोद मिश्रा, वर्षा बुंदेला आदि उपस्थित रहे।

टाउन हॉल में जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन

नवभारत न्यूज

पन्ना 13 मार्च। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा भी कृषि को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने को निर्णय लिया गया है। यह बात पन्ना विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को टाउन हॉल पन्ना में आयोजित जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर कही।

उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान मेला जैसे कार्यक्रम एवं सेमिनार के माध्यम से किसान जागरूक होंगे और इसके जरिए कृषि कार्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने से इन कार्यक्रमों की सार्थकता भी सिद्ध होगी। कृषि विज्ञान मेला में उपस्थित किसानों को उनके श्रम की सही व उचित कीमत के लिए कृषि में नवाचार अपनाने की सलाह दी गई। साथ ही पौधरोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक किया गया। इस कृषक सेमिनार में उपयोगी जानकारी प्राप्त कर किसान खेती के अलावा दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन तथा उद्यानिकी कृषि को भी आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रूझान बढ़ा है। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को समय-समय पर नवीन व उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के साथ ही समसमायिक सलाह भी दी जाती है। आज देश एवं प्रदेश के किसानों द्वारा मोटे अनाज की पैदावार भी की जा रही है। साथ ही कृषि कार्य में उन्नत बीज और आधुनिक कृषि यंत्रों सहित नरवाई प्रबंधन यंत्र का उपयोग भी करें।

परियोजना संचालक आत्मा परियोजना ए.पी. सुमन ने कार्यक्रम की रूपरेखा तथा कृषक कल्याण वर्ष में परियोजना अंतर्गत गतिविधियों तथा विभागीय जानकारियों से अवगत कराया। कार्यक्रम में मत्स्य कृषक रामखिलावन रैकवार को 10 वर्षीय मत्स्य पालन पट्टे का वितरण किया गया। अतिथियों ने कार्यक्रम स्थल पर कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन तथा उद्यानिकी विभाग की प्रदर्शनी एवं स्टॉल का अवलोकन किया तथा विभागीय योजनाओं व कृषक हितैषी कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की। कृषि विज्ञान मेला स्थल पर जैविक हाट बाजार में लगी प्राकृतिक खेती के उत्पादों की अतिथियों द्वारा सराहना भी की गई। इस अवसर पर लोक गायिका शांति पटेल एवं कलाकारों द्वारा स्वागत गीत सहित अन्य प्रस्तुतियां भी दी गईं। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजे एवं उपाध्यक्ष संतोष यादव सहित कलेक्टर ऊषा परमार, जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी, उप संचालक कृषि ओ.पी. तिवारी, कृषि वैज्ञानिक डॉ. पी.एन. त्रिपाठी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी संजीत बागरी, कृषि स्थायी समिति सदस्य मिजाजीलाल पटेल भी उपस्थित रहे।